न्यायालय–ग्राम न्यायालय नवलगढ, जिला झुंझुनूं
प्रमोद कुमार चौधरी बनाम रामप्रकाश आदि
दीवानी दावा संख्या–25/2023
सीआईएस संख्या–08/2023

दिनांक–24.02.2026

अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र वास्ते हिंदी का हिंदी अनुवाद किए जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश चाहने बाबत पेश किया। नकल अधिवक्ता वादी को दिलायी गयी। अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। हस्तगत प्रार्थना–पत्र निस्तारण सुविधा की दृष्टि से आदेशिका पर ही किया जा रहा है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए मौखिक रूप से तर्क दिया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 में न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया है कि उपरोक्त दस्तावेजात पट्टा जेठ सुदी 05 संवत् 1975 व बैनामा चैत सुदी 13 संवत 1976 व दिनांक 13 अप्रेल, 1919 का हिंदी अनुवाद किसे पेश करना है। यह न्यायालय ने पेश नहीं किया है तथा उपरोक्त दोनों दस्तावेजात हिंदी में है। उनकी लिपि जरूर महाजनी व मुढ़ीया अक्षर की हो सकती है तथा उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद वादी से करवाना सुगम रहेगा। वादी ने उक्त रिलीफ चाही है तथा साथ ही न्यायालय से निवेदन किया है कि वादी के खर्च पर किसी विशेष सर्वेक्षण कमिश्नर या अन्य कोई जिसे न्यायालय उचित समझे, दोनों दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत कर भेजी जावे ताकि उपरोक्त दस्तावेजात का सही व साफ अर्थ निकल सके। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने दौराने मौखिक बहस यह तर्क दिया है कि अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी का उपरोक्त दस्तावेजात है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में अधिवक्ता प्रतिवादी को स्वयं उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद पेश करने के लिए कहा गया था। हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रकरण में देरीना के आशय से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भारी हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि दिनांक 26.01.2026 को हाजा न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर उपरोक्त पट्टा जेठ सुदी 05 संवत् 1975 व बैनामा चैत सुदी 13 संवत 1976 व दिनांक 13 अप्रेल, 1919 का हिंदी अनुवाद पेश करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उपरोक्त दोनों दस्तावेजात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे तथा प्रतिवादी प्रमोद स्वयं न्यायालय में उपस्थित था, जो कि उपरोक्त दोनों

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुन्झुनू, राजस्थान

दस्तावेजात को पढ़ने में असमर्थ था। चूंकि स्वयं प्रतिवादी व अधिवक्ता प्रतिवादी उपरोक्त दस्तावेजात को पढ़ नहीं पा रहे थे। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा भी उपरोक्त दस्तावेजात पठनीय भाषा में नहीं होने पर जिरह करने में असमर्थतता जतायी। जिससे उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद करने के लिए अधिवक्ता प्रतिवादी को आदेशित किया गया था। यहां यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर नियत है तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी द्वारा ही उपरोक्त दोनों दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए थे तथा प्रदर्शित करवाने की चेष्टा की गयी थी। चूंकि दस्तावेजात प्रतिवादी पक्ष के हैं। अतः उनका हिंदी अनुवाद करवाने का कर्तव्य भी प्रतिवादी का ही है। वादी को उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद देवनागरी लिपि में करवाने के लिए आदेशित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी को अपने कथनों को अपने दस्तावेजात से साबित करना है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद स्वयं अपने स्तर पर देवनागरी लिपि में आगामी पेशी पर प्रस्तुत करे। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर प्रतिवादी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों दस्तावेजात पट्टा जेठ सुदी 05 संवत् 1975 व बैनामा चैत सुदी 13 संवत 1976 व दिनांक 13 अप्रेल, 1919 का हिंदी अनुवाद देवनागरी लिपि में न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। हस्तगत प्रकरण न्यायालय के टारगेट प्रकरणों की सूची में शामिल है। ऐसे प्रकरणों के संबंध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण के आदेश प्राप्त हैं। अतः आगामी पेशी पर बिना किसी देरीना के प्रतिवादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करे।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी/पेश होने दस्तावेजात में दिनांक **04.03.2026** को पेश हो। इतना लिखने पर अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित हुए और उन्होंने हिंदी अनुवाद के लिए पर्याप्त समय दिए जाने का निवेदन किया। जिसके संबंध में सुना गया। प्रकरण चूंकि टारगेट प्रकरणों की सूची में शामिल है तथा न्यायालय का टारगेट प्रकरण संख्या 16 है। इस स्थिति को देखते हुए हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता प्रतिवादी को दिनांक **04.03.2026** तक का समय दिया जाता है।

सुमन चौधरी
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनू, राजस्थान